UPSR040040222026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

बेल अप्लीकेशन/1302/2026

राज्य बनाम. कमाल अहमद

दिनांक–09.06.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा संख्या–2629/2024 अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा०द०स० थाना को० भिनगा जनपद श्रावस्ती में अभियुक्त **कमाल अहमद** ने इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया है कि उसे रंजिशन हैरान व परेशान करने की नीयत से फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह निर्दोष है। अतः उसे उचित जमानतों पर रिहा किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त की ओर से स्वयं को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया जिस पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त की प्रथम उपस्थिति है। मामले में विवेचना पूर्ण होकर आरोपपत्र आ चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध सात वर्ष तक या उससे कम दण्ड से दण्डनीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

अतः अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त को बीस हजार रुपये का जाती मुचलका एवं समान धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये।

प्रभारी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।